D.H.O. खीरी के पत्रांक जि·हो·मि· /10-11/72 दिनांक 27·4·2010

R.T.I. प्रार्थना पत्र दि. 1.7.2009 के उत्तर

1- शासनादेश अस्थाई रुप से DHO के चार्ज संभालने पर अंकित नहीं हैं। बिना वेतन के अस्थाई रुप से अतिरिक्त कार्य भार बिना किसी वित्तीय शक्ति के संभालने से अवकाश स्वीकृत अधिकारी नहीं बदल जाते हैं।

2- विवरण केवल डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी के ~~आकस्मिक~~ उपार्जित अवकाश के बारे में दिया गया है जबकि विवरण 2001 से सभी पूर्व में कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारियों / महिला चिकित्साधिकारियों के बारे में मांगा गया है। यह विवरण कि क्या पूर्व में महिला चिकित्साधिकारी / प्रभारी चिकित्साधिकारी के 30 दिन से कम उपार्जित अवकाश स्वीकृत हेतु मुख्यालय भेजा गया, उपलब्ध नहीं कराया गया। डा० तिवारी का

3- उपार्जित अवकाश कोई लैप्स नहीं हुआ है की सूचना गलत दी जा रही है जिसका प्रूफ D.H.O. का पत्र दि 31.01.2008 का क्रम सं. 10 है जिसमे अंकित है कि 30.9.2007 तक 299 दिन उपार्जित अवकाश खाते में थे। 1.1.2008 को 15 दिन के उपार्जित अवकाश जुड़ने पर 314 हो जाते हैं तथा 30.9.2007 के बाद डा० तिवारी ने केवल 6 दिन का उपार्जित अवकाश (17.10.2007 से 22.10.2007) तक लिया था अर्थात 308 उपार्जित अवकाश शेष थे। चूंकि डा० तिवारी को उपार्जित अवकाश 2007 में नहीं दिये गये तथा 300 दिन से अधिक उपार्जित अवकाश जमा नहीं हो सकते अतः 8 दिन के उपार्जित अवकाश लैप्स हुये जो सर्विस बुक पर भी उपलब्ध होगा।

3 - पूर्व के DHO द्वारा पंजीकरण शुल्क न जमा करने के कारण डा० तिवारी को शुल्क मनीआंडर से भेजना पड़ा जो DHO के रिकार्ड में है।

4- यह आश्चर्य की बात है कि उ०प्र० शासन का आदेश दिनांक 19.2.2007 DHO कार्यालय में 24.12.2009 को प्राप्त हुआ जब डा० तिवारी ने 25.11.09 को शासनादेश की प्रति DHO महोदय को उपलब्ध कराई जबकि G.O. सभी DHO तथा निदेशक को शासन से भेजा गया था तथा खीरी DHO को छोड़कर सभी को प्राप्त हुआ। डा० कृष्णा तिवारी के सेलेक्शन ग्रेड तथा संशोधित वेतन मान का एरियर कितना बैंक एकाउन्ट में कितना G.P.F. में किस तिथि को किस गणना के अनुसार किया गया है मुझे उपलब्ध करावें।

5- चूंकि पूर्व DHO सेवानिवृत हो गये हैं इसलिये दी गई सूचना मान्य है।

6 क्रम संख्या 5 के अनुसार। परन्तु जब इलेक्शन पीरियड में DM के आदेश उनसे अवकाश स्वीकृत कराने का था तो D.H.O. को वेतन नहीं Release करना चाहिये था जबकि यह टिप्पणी अवकाश प्रार्थनापत्र में दे दी गयी थी कि D.M. महोदय की स्वीकृति अपेक्षित है।

7- क्या A.C. की Earthing हेतु जो गड्ढा बनाया गया था उसका भुगतान DHO office से नहीं किया गया।

8- जिला अस्पताल परिसर में चिकित्साधिकारी का निवास डा० कृष्णा तिवारी को उपलब्ध कराया जाय। यदि DHO को स्थान की कमी पड़ती है तो पहले जब चिकित्साधिकारी उस भवन में रहते थे तब भी DHO का कार्य होता था। जगह हेतु DHO अपने उच्च अधिकारियों एवं DM से बात करें न कि चिकित्साधिकारी का आवास प्रयोग करें।

9- नोट किया।

R.T.I प्रार्थना पत्र दिनांक 18.5.2009 द्वारा माँगी सूचनायें उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थना पत्र संलग्न है। कृपया सूचनायें उपलब्ध करावें।

(Signature)
3-5-2010
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
15-सी, अलमोड़ा
अणुशक्तिनगर, मुम्बई
400094

# कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी–खीरी।

पत्रांक जि0हो0चि0अ0/10–11/72 दिनांक : 21.1.10

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
15-C अलमोड़ा
अनुशक्ति नगर–मुम्बई।

आप के पत्र दि0 01.07.2009 के द्वारा मांगी गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है।

1. प्रभारी चिकित्साधिकारी रा0हो0चि0 जिला अस्पताल का चार्ज चाहे पुरुष चिकित्साधिकारी के पास हो अथवा महिला चिकित्साधिकारी के पास हो, उसके अवकाश स्वीकृत चाहे जिस प्रकार के हो, शासनादेश दिनांक 08.11.1996 मे निहित प्राविधानों के अनुसार ही होते है। शासनादेश की प्रति संलग्न।

2. 2001 से प्रभारी चिकित्साधिकारियों एवं महिला चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत किये गये उपार्जित अवकाश का विवरण।

| क्र0 सं0 | महिला/प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम | पद | उपार्जित अवकाश की अवधि दिनांक से दिनांक तक | उपार्जित अवकाश की संख्या | स्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डा0 कृष्णा तिवारी | महि0चि0 अ0/प्र0 चिअ0 | 25.06.07 से 02.06.07 | 16 दिन – | डा0 एस0एन0 पाण्डेय (जि0हो0चि0अ0) |
| | | | 12.11.07 से 01.12.08 | 20 दिन – | डा0 जगरूप प्रसाद (जि0हो0चि0अ0) |
| | | | 17.06.08 से 05.07.08 | 19 दिन – | डा0 जगरूप प्रसाद (जि0हो0चि0अ0) |
| | | | 08.06.09 से 27.06.09 | 20 दिन – | डा0 बी0एन0 सिंह निदेशक हो0 उ0प्र0 |
| | | | 14.12.09 से 26.12.09 | 13 दिन – | डा0 बी0एन0 सिंह निदेशक हो0 उ0प्र0 |

चूंकि डा0 कृष्णा तिवारी का मूल पद महिला चिकित्साधिकारी का है परन्तु डा0 तिवारी के पास चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद का भी चार्ज है इस कारण शासनादेश दि0 08.11.1996 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ही उपार्जित अवकाश स्वीकृत हेतु निदेशक उ0प्र0 को प्रेषित किया जाता है प्रार्थना–पत्र को अंग्रेजी से हिन्दी मे कराना तथा रविवार को उपार्जित अवकाश में सम्मिलित कराने का प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। डा0 तिवारी का कोई भी उपार्जित अवकाश प्रार्थना–पत्र निरस्त नहीं किया गया है। लैप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता उपार्जित अवकाश लेखा सेवा पुस्तिका में अंकित होता है।

3. रोगियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को प्रत्येक माह की 2 तारीख को या अवकाश होने की दशा में अगली तारीख को चिकित्साधिकारियों की बैठक कर कार्यालय में जमा

........2........

किया जाता है। जिसकी प्राप्ति दी जाती है मनीआर्डर से भेजने के कोई भी निर्देश नहीं दिये गये है, फोटो स्टेट, स्टेशनरी आदि क्रय करने के कोई भी बिल डा0 कृष्णा तिवारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये है।

4. डा0 कृष्णा तिवारी के सैलेक्शन ग्रेड का शासनादेश निदेशक होम्यो0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र 36/02/17876 दिनांक 24.12.09 के द्वारा प्राप्त हुआ तथा उपरोक्त शासनादेश की प्रति डा0 कृष्णा तिवारी द्वारा स्वयं दिनांक 25.11.2009 को प्राप्त कराई गई है। सेलेक्शन ग्रेड तथा संशोधित वेतन मान का एरियर भुगतान डा0 कृष्णा तिवारी को बैंक खाते के माध्यम से कर दिया गया है। जिसकी सूचना डा0 तिवारी को उपलब्ध करा दी गई है।

5. दिनांक 01.05.2009 को जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा जिला अस्पताल लखीमपुर के स्टील कप बोर्ड की तलाशी ली गई है। ऐसे कोई अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

6. श्री राम कुमार अवस्थी फार्मा0 का अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रभारी चिकित्साधिकारी को है जहां तक वेतन आहरित करने की बात है, चिकित्सालय से प्राप्त उपस्थिति के आधार पर ही वेतन आहरित किया जाता है।

7. एयर कडींशनर की आपूर्ति निदेशालय से की गयी थी एवं उस की फिटिंग ब्लू स्टार लिमिटेड B–140 निराला नगर लखनऊ द्वारा कराई गई है : A.C. फिटिंग मैकेनिक का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

8. जिला अस्पताल परिसर में चिकित्साधिकारी का आवास निर्मित है लगभग 7 वर्षो से उक्त भवन को कैम्प कार्यालय, स्टोर एवं मासिक बैठक आदि हेतु कार्य में लिया जा रहा है कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये 10x10 फिट के कमरे में संचालित है जो कि प्रर्याप्त नहीं है। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी उक्त आवास में निवास नहीं करते है भवन का प्रयोग जनहित में किया जा रहा है। निजी हित में नहीं।

9. चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों के भरने हेतु जिसके साक्षात्कार 06/09 में हुए थे को शासनादेश सं0 20/1191/का–2–2008 कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 09.06.2009 एवं निदेशक होम्यो0 उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 नि0हो0/34/08/8544–620/लखनऊ दिनांक 13 जून 2009 के द्वारा अग्रिम आदेशो तक प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है अग्रिम आदेश होते ही सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

SKTripathi

(डा0 एस0के0 त्रिपाठी)
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
खीरी।

# कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी–लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक :– जि0हो0चि0अ0 / सूचना / 2007–08 | 53 दिनांक :– 21-1-08

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
सी0–15, अलमोड़ा,
अणुशक्तिनगर, मुम्बई–400094।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचनाओं का विवरण

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक 16.10.07 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 19.10.07 को प्राप्त हुआ, के सन्दर्भ में मांगी गई सूचनाएं निम्नवत हैं।

1–

(क)

| क्र0 सं0 | चिकित्साधिकारियों के नाम | पद तथा नियुक्ति का स्थान | उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र की अवधि दि0 माह से माह तक | उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र देने की तिथि | उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की तिथि | वैकल्पिक व्यवस्था पर रखे गये डा0 का नाम व पद | उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने वाले अधि0 का नाम | वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्धक करने वाले अधिकारी का नाम व पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी | महि0चि0अ0 रा0हो0चि0 जिला अस्पताल लखीमपुर (खीरी) | 02.06.07 से 17.6.07 तक | 25.06.07 | 25.6.07से तक | श्री आर0के0 अवस्थी (फार्मा0) | डा0 एस0एन0 पाण्डेय (जि0हो0चि0अ0) खीरी | डा0 एस0एन0 पाण्डेय (जि0हो0चि0अ0) खीरी |
| | | | 12.11.07 से 1.12.07 तक | 17.10.07 | 22.10.07 | डा0 हरि प्रकाश शुक्ला (चि0अ0) | डा0 जगरूप प्रसाद (जि0हो0चि0अ0) खीरी | डा0 जगरूप प्रसाद (जि0हो0चि0अ0) खीरी |

(ख) विभाग द्वारा चिकित्साधिकारियों के अवकाश की नियमावली जारी नहीं हुई हैं।

2.– महिला चिकित्साधिकारी / चिकित्साधिकारी का 30 दिन का उपार्जित अवकाश उनके द्वारा आवेदन करने पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

3–. उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र दो माह पूर्व दिया जा सकता है। उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रेषित करने पर स्वीकार किया जाता है।

4– उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की पावती जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा दी जाती है।

5– उपार्जित अवकाश की अवधि में चिकित्सालय चलाने की व्यवस्था के प्रबन्ध की जिम्मेदारी अवकाश स्वीकृत अधिकारी की है।

*शेष पेज 2/–पर*

Recd on 28/01/2008

6– डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी द्वारा दिनांक 24.09.07 से 06.10.07 तक की अवधि का कोई भी उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र जि0हो0चि0अ0 को अथवा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

7– उक्त उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ, अवकाश स्वीकृत की सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

8– उक्त उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ, निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

9– डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया गया। रेलवे आरक्षण स्वतः कराया होगा भुगतान की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं है।

10– डा0 कृष्णा तिवारी के उपार्जित अवकाश खाते में दिनांक 30.09.07 तक कुल 0२११ दिन शेष दिन हैं। आवेदित कोई भी उपार्जित अवकाश निरस्त नहीं किया गया।

11– डा0 कृष्णा तिवारी द्वारा आवेदित दिनांक 12.11.07 से 1.12.07 की अवधि का उपार्जित अवक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.07 को प्राप्त हुआ एवं 22.10.07 को अवकाश स्वीकृत कर दिया गर

12– उपार्जित अवकाश स्वीकृत सूचना डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी को दिनांक 22.10.07 को नोट कराते हुए आदेश की प्रति भी दे दी गयी।

13– डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी से अपने अवकाश प्रार्थना पत्र पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु दूसरे चिकित्साधिकारी से लिखित आदेश कराने को नहीं कहा गया क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वीकृत अधिकारी की है।

14– कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कृपया निदेशालय स्तर से जानकारी लें।

15– डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी द्वारा दिये गये उपार्जित अवकाश को नियमानुसार ससमय स्वीकृत कर दिया गया है विभागीय नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है।

16– जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को कार्यालय के कार्य से निदेशालय अथवा उच्च न्यायालयों में जाना पड़ता है। जिसके लिए जिला चिकित्सालय अथवा मुख्यालय से निकटतम चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी को अपने कार्य के साथ–साथ कार्यालय का प्राशासनिक कार्य देखने को निर्देशित किया जाता है। जिसमें वरिष्ठता अथवा कनिष्ठता की बाध्यता नहीं है। जि0हो0चि0अ0 का अवकाश निदेशालय स्तर से स्वीकृत होने पर कार्यालय के चार्ज का आदेश निदेशक महोदय द्वारा जारी किया जाता है।

17– जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं कार्यालय सहायक/कनिष्ठ द्वारा डा0 श्रीमती कृष्णा तिवारी का किसी भी तरह से मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है।

भवदीय
21/01/2008
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
लखीमपुर–खीरी

(A-1)

(18)

...FOIL
...अपने पास रख ले।
...ched and kept
...y the Sender.

पोस्टल आर्डर
रुपए 20.00 Rs.
POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable DHO - Kheri

262701
किस डाकघर में
At what Office Kheri

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed Yes

भेजने की तारीख
Date sent 18.5.2009

69F 595004

SPEM 0540

भारतीय डाक
INDIA POST

ANUSHAKTINAGAR (400094)
SP EM054029930IN
Counter No:1,OP-Code:06
To:DIST HOMEOPATHIC OFF,DHO-
Kheri, PIN:262701
From:S K TIWARI , 15 ALMORA ANSNAGAR MUM94
Wt:15grams,
Amt:25.00 , 20/05/2009 , 09:14
Taxes:Rs.3.00<<Have a nice day>>

**FORM 'A'**

Form of application for seek... i...

(See rule 3)

...blic Information Officer (PIO)
...h , District Homeopathic Officer ,(DHO)
...IMPUR-KHERI (U.P.) PIN-262701 .

1. Name of the Applicant :SURENDRA KUMAR TIWARI
2. Address :15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR MUMBAI-400094
3. Information sought :- As per enclosed Annexure herewith

   **(Details should include separate paras for each information sought)**
4. I state that information sought does not fall within the restrictions contained in the Section 8 & 9 of the Act and to best of my knowledge it pertains to your office.
5. This is to certify that I, SURENDRA KUMAR TIWARI son of SRI BRAJ KUMAR TIWARI , am a citizen of India.
6. A fee @ of Rs Twenty has been deposited in ~~cash~~ / vide postal order No. / ~~Demand draft~~ no. 69F 595004 drawn on Post office/~~Bank Anush~~akti-Nagar Mumbai-400094 .

   (No fees would be charged from the persons below poverty line)

Place : ANUSHAKTI-NAGAR- MUMBAI
Date : 18.05.2009

[signature] 18.5.2009
( Surendra Kumar Tiwari)
Signature of Applicant

Email : neelkamal2008@hotmail.com

Tel No. (Office) : 022-25994411
(Res) MOBILE: 09969680100
Postal Address : SURENDRA KUMAR TIWARI
15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR
MUMBAI-400094

**Note :** Please ensure that the Forma A is complete in all respect and there is no ambiguity in providing the details of information required.

A-2

19

## ...-3 के अनुसार माँगी गई सूचनाओ का विवरण

(1) जिला होम्योपैथिक अधिकारी, खीरी (DHO) का मुख्यालय क्या लखीमपुर में स्थित है तथा क्या वह मुख्यालय पर ही रहते है या प्रतिदिन अपने घर दूसरे जिले में आते जाते हैं। अगर हाँ तो क्या मुख्यालय में न रहने की अनुमति उन्होने अपने उच्चअधिकारियो से प्राप्त की हैं।

(2) DHO महोदय को जिला अस्पताल होम्योपैथिक चिकित्सालय खीरी के नियंत्रक अधिकारी के अधिकार कहाँ तक प्राप्त हैं।

(3) आपके कार्यालय में डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी के पत्र प्राप्ति की रसीद आपके कार्यालय सहायक श्री खालिद द्वारा क्यो नही दी जाती है। वह प्राप्ति रसीद DHO महोदय तथा DHO महोदय प्राप्ति रसीद श्री खालिद पर टालते हैं। केवल एक दो पत्र छोड़कर जिसे DHO महोदय के आदेश पर श्री खालिद ने प्राप्ति रसीद दी, पत्र लेने से इनकार कर देते हैं। DHO महोदय कार्यालय छाप निकालकर इसकी सूचना डा० श्री मती कृष्णा तिवारी को क्यो नही देते हैं।

(4) DHO, खीरी महोदय ने किन कारणो से दिनांक 01.05.2009 को 11 बजे डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी की डिस्पेंसरी आकर स्टील कप बोर्ड की तलाशी ली। क्या इसके हेतु वह सक्षम अधिकारी थे तथा तलाशी लेने के बाद तलाशी रिपोर्ट की सूचना डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी को क्यो नही दी। कृपया शिकायत प्रति जिस पर DHO ने कार्यवाही की उपलब्ध करावे तथा तलाशी रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध करावें।

(5) क्या आपको आवेदक ने मौखिक शिकायत श्री खालिद, कार्यालय सहायक फार्मासिस्ट के बारे में निम्न मुद्दो पर की;

(अ) सामान्य भविष्य निधि निकासी पर श्री खालिद द्वारा 40% घूस (Bribe) की माँग

(ब) छटे वेतन आयोग के एरियर की निकासी पर घूँस (Bribe) की माँग

(स) अवकाश प्रार्थना पत्र व अन्य पत्रो की प्राप्ति रसीद देने पर घूस की माँग

(द) उपार्जित अवकाश पर जाने व उपभोग करने पर घूस की माँग

(य) गुप्त GPF अंशदानो की इन्ट्री न होने पर दिये प्रार्थना पत्र को इलाहाबाद उचित माध्यम से भेजने पर घूस की माँग

श्री खालिद का कहना है कि इस प्रकार प्राप्त घूस (Bribe) की धन राशि वह अपने उच्च अधिकारियो के कहने पर लेते हैं। चूंकि डा० श्री मती कृष्णा तिवारी ने घूस (Bribe) देने से इनकार कर दिया अत: DHO आफिस द्वारा जिला होम्यो० चिकित्सालय के कार्यो में दखलनदाजी व उसके स्टाफ को भड़काया जाता रहा है तथा डा० तिवारी को घूस देने हेतु दबाव किया जाता रहता है।

क्यो [illegible] है।

[illegible] पर

(A-3) 20

कृपया सूचित करें कि डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी के आप चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ श्री राम कुमार अवस्थी को कार्यालय में क्यो रखा। क्या इससे चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त जन सेवाओं पर प्रभाव नही पड़ा।

7- पूर्व प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला होम्यो चिकित्सालय, जिला अस्पताल खीरी के कार्यकाल में लेवी/रजिस्ट्रेशन का धन कार्यालय से चोरी हुआ था कृपया जाँच रिपोर्ट व उसकी अन्तिम/फाइनल रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।

8- क्या आपको डा० श्री मती कृष्णा तिवारी ने सूचित किया था कि श्री राम कुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट ने रविवार को बिना उनकी सूचना के ताला खोलकर कार्यालय सामग्री अपने घर ले गये हैं और आपने उस पर क्या कार्यवाही की।

9- जो दवाये एवं सामग्री आपके कार्यालय के श्री खालिद फार्मेसिस्ट द्वारा जिला होम्यो चिकित्सालय के श्री रामकुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट को सीधे इसू कर दी जाती है उसकी लिखित information सूचना क्या डा० श्री मती कृष्णा तिवारी को आपके कार्यालय से दी जाती है।

10- आपके (DHO महोदय) व डा० श्री मती कृष्णा तिवारी द्वारा जब दवाओ के consumption हेतु निरीक्षण में Graphites का स्टाक एवं मरीजो की संख्या चेक की गई तो पाया गया कि केवल लगभग 10 मरीजो में 300 मरीजो की आवश्यकता की दवा consume दिखा दी गई है। इस पर आपने श्री आर० के० अवस्थी फार्मेसिस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की। जब एक दवा के निरीक्षण में इतना अन्तर आ रहा है तो बाकी दवाओ के दुरुपयोग को कैसे नकारा जा सकता है। श्री अवस्थी के द्वारा किये इस घटना की जाँच का आदेश आप कमेटी से क्यो नही कराते हैं।

11- पूर्व में भी DHO द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र डा० श्री मती कृष्णा तिवारी से लेकर प्राप्ति रसीद न देने से अन्तिम समय में अवकाश मना कर दिया जाता है जिससे रिजर्वेशन आदि कैंसिल कराना पड़ा तथा धन राशि की हानि हुयी। अवकाश निवेदन प्रार्थना पत्र Advance में लेकर अवकाश स्वीकृत की सूचना समय पर डा० तिवारी को क्यो नहीं दी जाती। आवेदित अवकाश जो Advance में दिया है की स्वीकृति न करने पर अर्जित अवकाश Lapse होने पर स्वीकृत अधिकारी को जिम्मेदार क्यो न समझा जाय।

[signature]

(S.K. Tiwari)